परिपत्र

पत्रांक– 3८०६ आयु0क0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनुभाग / दे0दून / 2007–08

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(विधि–अनुभाग)
देहरादून::दिनांक::18 जनवरी, 2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी श्रेणी--2
उत्तराखण्डं ।

शासन ने अधिसूचना संख्या 06(i)/XXvii (8)/वाणिज्य कर (वैट)/2008 दिनांक 16–01–2008 जारी करते हुए (छाया प्रति संलग्न) उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की अनुसूची–I के में निम्नलिखित संशोधन किये जाने से अवगत कराया है।

संशोधन

अनुसूची–I के कमांक 63 की वर्तमान प्राविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात–

"63. गोमूत्र तथा उससे निर्मित औषधियॉ।"

कृपया उक्त अधिसूचना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि ।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून ।

पृ0प0सं0 व दिनांक::उक्त::

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1--प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

2--महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दरा नगर देहरादून।

3--अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी ।

4--एडीशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय।

5--एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर गढवाल जोन देहरादून / कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।

6--समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून /हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतिया कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार/व्यापार मण्डल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

7--ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।

8–ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार / रूद्रपुर ।

9–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें ।

10–श्री वी0के0 वर्मा, विशेष कार्यधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11–नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद ।

12–नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–आर 15 / 5 राजनगर गाजियाबाद ।

13–लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद

14–कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु ।

15–विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु ।

18/1/2008

आयुक्त कर

उत्तराखण्ड देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं0 - /XXVII(8)/वाणि0 कर (वैट)/ 2008
दिनांकः: देहरादूनः: 16 जनवरी, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में निम्न लिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-I के क्रमांक 63 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात-

"63. गोमूत्र तथा उससे निर्मित औषधियाँ।"

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

सं0 060/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2-निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
C. J. Semwal
(सी0एस0सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त,

विधि अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करे

160108

अपर आयुक्त व
उत्तरांचल देहरादून
7943
16-1-08

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 06 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 16 January, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG
NO. 06 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated :: January, 16 , 2008

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in schedule-I of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

In schedule-I, for the existing entry at serial no. 63, the follwing entry shall be substituted, namely-

"63. Gau-mutra and medicines manufactured therefrom."

(RADHA RATURI)
SECRETARY FINANCE